

Musaddi

FORM NO III  
फर्द अहकाम  
(नियम 26)

बाजदायरी  
स्वीकार  
18/10/19

APP-A  
Crim-1

# अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

बनाम राज. सरकार वरिचे लक्ष्मीलक्ष्मी

विरुध्द विजय नगर

किस्म मुकदमा बाज. प्र. पत्र (0.41/19/2019) 392/2019 नम्बर सन् 20 19 (प्रसूत)

2019/00392

(राजगद)

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामी जारी हुए
पेशी  18.10.19	<p>श्री <u>राकेश अरोड़ा</u> श्री</p> <p>यह बाजदायरी प्रार्थना पत्र श्री राकेश अरोड़ा एडवोकेट ने न्यायालय हाजा द्वारा अपील को दिनांक 30.09.2019 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किये जाने के विरुद्ध अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 जा.दी. के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद जाँच रिपोर्ट होकर पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाजदायरी दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित।</p> <p>बाजदायरी प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित में बाजदायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर करना उचित समझते है।</p> <p>अतः बाजदायरी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 जा.दी को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।</p>	

राजस्व प्राधिकारी  
अजमेर